अनुसूचित जनजातियों का संक्षिप्त विवरण

उत्तराखण्ड में निवासरत् भोटिया, थारू, जौनसारी,बुक्शा एंव राजी को वर्ष 1967 में अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था। उक्त पाॅच जनजातियों मे बुक्सा एवं राजी जनजाति आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक रूप से अन्य जनजातियों की अपेक्षा काफी निर्धन एवं पिछड़ी होने के कारण उन्हें आदिम जनजाति समूह की श्रेणी में रखा गया है।

जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार

प्रदेश की कुल जनसंख्या	1,00,86,292
अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	2,91,903
बी.पी.एल. परिवारो के अनुसूचित जनजतियों की जनसंख्या	26,295

साक्षरता का दर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार

सामान्य			**अनुसूचित जनजाति में**		
पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल
87.4	70.0	78.8	83.6	63.9	73.9

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपदवार निवासरत् अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या निम्न प्रकार है-

क्र.स.	**जनपद का नाम**	**कुल संख्या**	**कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का विवरण**				
			राजी	**थारू**	**भोटिया**	**बुक्सा**	**जौनसारी**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	रूद्रप्रयाग	186	0	0	186	0	0
2	टिहरी गढवाल	691	0	0	0	0	691
3	चम्पावत	742	126	0	616	0	0
4	अल्मोड़ा	878	0	0	878	0	0
5	पौडी गढवाल	1500	0	0	0	1500	0
6	बागेश्वर	1943	0	0	1943	0	0
7	उत्तरकाशी	2685	0	0	2685	0	0
8	हरिद्वार	2884	0	0	0	2884	0
9	नैनीताल	4981	0	0	2037	2944	0
10	चमोली	10484	0	0	10484	0	0
11	पिथौरागढ	19279	556	0	18723	0	0
12	देहरादून	99702	0	0	2855	22508	74339
13	ऊधमसिहनगर	110174	0	82790	0	27384	0
कुल जनसंख्या		256129	682	82790	40407	57220	75030

राज्य सरकार की प्रतिबद्वताओं के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर में सुधार को उच्च प्राथमिकता दी गयी है, इन वर्गो के लोगों के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक उत्थान हेतु कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जिससे इनका सर्वागीण विकास हो सकें। इस वर्ग के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों का शैक्षिक, सामाजिक एंव आर्थिक स्तर पर उन्हें सहयोग कर समाज के मुख्य धारा से जोड़ना है।

योजना का नाम

1. छात्रवृत्ति योजना

अ. पूर्वदशम कक्षाओं (कक्षा 1 से 8 तक) एवं आई.टी.आई. छात्रवृत्ति-

योजना का उद्देश्य

उत्तराखण्ड शासन द्वारा राज्य के अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को साक्षर एवं शिक्षित बनाने के उद्देश्य से छात्रवृत्ति योजनायें संचालित की जा रही है। शिक्षा के प्रति प्रेरित करने एवं शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा उन्हें प्राईमरी स्तर से स्नातकोत्तर स्तर तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ।

क. छात्रवृत्ति की दरें-

क्र.स.	अध्ययन पाठ्यक्रम	दरें प्रति छात्र/छात्रा
1	कक्षा 1 से 5	रू0-50/- प्रतिमाह
2	कक्षा 6 से 8	रू0-80/- प्रतिमाह

लाभाविन्त हेतु पात्रता

आय सीमा:

प्रदेश के विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा 1 से 8 तक के सभी जनजाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है । अशासकीय विद्यालयो में अध्ययनरत् जनजाति छात्र/छात्राओं के माता-पिता/अभिभावक की मासिक आय रू. 5000/- से अधिक नही होनी चाहिए।

ख- कक्षा 9 एंव 10 हेतु छात्रवृत्तिः-

जनजातीय कार्य मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 10 सितम्बर, 2012 द्वारा कक्षा 09 व 10 के जनजातीय छात्र/छात्राओं हेतु जिनके परिवार की वार्षिक आय रू0 2.00 लाख से अधिक न हो, छात्रावासी (Hostellers) हेतु छात्रवृत्ति रू0 350.00 प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिए एवं पुस्तकीय व अनावर्ती सहायता रू0 1000.00 प्रतिवर्ष तथा बिना छात्रावासी (Day Hostellers) हेतु छात्रवृत्ति रू0 150.00 प्रतिमाह की दर से कुल 10 माह के लिए और पुस्तकीय व अनावर्ती सहायता रू0 750.00 प्रतिवर्ष की दर से वहन किए जाने की दिनांक 01.7.2012 से योजना प्रारम्भ की गई है।

ब. दशमोत्तर कक्षाओं में छात्रवृत्ति:

उत्तराखण्ड प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के उन समस्त छात्र/छात्राओं को दशमोत्तर कक्षाओं में छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिनके माता पिता/अभिभावक की वार्षिक आय समस्त स्रोतों से रू0 2.50 लाख (रूपये दो लाख पचास हजार मात्र) से अधिक नही है, यह छात्रवृत्ति भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमावली के अन्तर्गत प्रदान की जाती है, प्रदेश के उन छात्र/छात्राओं को भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जो प्रदेश से बाहर विभिन्न कालेजों में उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् है।

दशमोत्तर छात्रवृत्ति (जनजाति वर्ग) की दरें निम्न प्रकार हैं:-

(धनराशि रू0 में)

क्र.सं.	**अध्ययन पाठ्यक्रम**	**छात्रावासी ों हेतु तेमाह)**	**बिना छात्रावासी छात्रों हेतु तेमाह)**
1	समूह-1 (i) स्नातक व परास्नातक कार्यक्रम जिनमें एम. फिल., पी.एच.डी. तथा पोस्ट टोरल अनुसंधान सम्मिलित है, इनके अन्तर्गत चिकित्सा औषधि विज्ञान ोपेथिक, भारतीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त औषधि पद्धतियां) मियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, प्लानिंग, आर्किटेक्चर, डिजाईन, फैशन टैक्नोलोजी, ॆ, पशु चिकित्सा एवं अन्य सम्बद्ध पाठ्यक्रम, प्रबन्धन, बिजनेस, वित्तीय ासन तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग सम्मिलित है। (ii) वाणिज्यिक पायलट लाईसेन्स (हैलीकाप्टर पायलट तथा मल्टी इंजन ग पाठ्यक्रम) (iii) प्रबन्ध व चिकित्सा की विविध शाखाओं में परास्नातकीय डिप्लोमा ्यक्रम (iv) सी.ए./आई.सी.डब्ल्यू.ए./सी.एस./ आई.सी.एफ.ए. आदि (v) एम.फिल.,पी.एच.डी. तथा पोस्ट डाक्टोरल कार्यक्रम (डी.लिट.,डी.एससी. दि)- (a) समूह-II में सम्मिलित कार्यक्रम (b) समूह-III में सम्मिलित कार्यक्रम (vi) एल.एल.एम.	1200.00	550.00
2	समूह-2 (i) स्नातक/परास्नातक डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत र्मेसी (बी.फार्मा.), नर्सिंग (बी-नर्सिंग), एलएलबी, बीएफएस, अन्य पैरामेडिकल ा जैसे- रिहैबिलिटेशन, डाइगनोस्टिक्स आदि,मास कम्यूनिकेशन,होटल जमैन्ट व केटरिंग, ट्रैवल/टूरिज्म/ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमैन्ट, इन्टिरियर ोरेशन, न्यूट्रिशन एण्ड डाइटेटिक्स, कॉमर्शियल आर्ट, फाईनेन्शियल सर्विसेज केंग, बीमा, टैक्शेसन आदि) जिनके लिए प्रवेश परीक्षा हेतु शैक्षाणिक अर्हता ा से कम इण्टरमीडिएट होनी चाहिए। (ii) समूह-I के अन्तर्गत न आने वाले परास्नातक पाठ्यक्रम जैस एम.ए., .एस. सी., एम.कॉम, एम.एड., एम.फार्मा आदि।	820.00	530.00
3	समूह-3 समूह-1 व 2 के अन्तर्गत न आने वाले अन्य सभी स्नातकीय ्यक्रम/कार्यक्रम जैसे-बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम आदि	570.00	300.00

4	समूह-4 पोस्ट मैट्रिकुलेशन श्रेणी के सभी पाठ्यक्रम जिनके लिए प्रवेश हेतु अर्हता स्कूल (कक्षा-10) हो। उदाहरणार्थ सीनियर सैकण्डरी सर्टिफिकेट (कक्षा-11 व , आई.टी.आई. पाठ्यक्रम, 3 वर्ष हेतु पॉलीटेक्नीक पाठ्यक्रम आदि	380.00	230.00

(2) राजकीय आश्रम पद्वति विद्यालयों का संचालन:

योजना का उद्देश्य

उत्तराखण्ड राज्य में निवासरत् अनुसूचित जनजातियों के बालक/बालिकाओ के शैक्षिक उत्थान एवं विकास हेतु विभाग द्वारा वर्तमान मे 16 राजकीय आश्रम पद्वति विद्यालयों का निम्न प्रकार संचालन किया जा रहा है, जिनमें बालिकाओं हेतु 4 हाईस्कूल स्तर तक 1 जूनियर हाईस्कूल है, इसी प्रकार बालकों हेतु 8 हाईस्कूल स्तर तक तथा 1 जूनियर हाईस्कूल स्तर तथा 2 प्राईमरी स्तर के विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है । उत्तराखण्ड राज्य के गठन के उपरान्त जो विद्यालय किराए में चल रहे थे के भवनो ंका निर्माण कार्यो की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा पुराने भवनों का जीर्णोद्वार किया गया, राजकीय आश्रम पद्वति विद्यालयों में प्रारम्भिक कक्षा से अन्तिम कक्षा तक निःशुल्क भोजन, वस्त्र, आवास, स्टेशनरी तथा दवाई आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, प्रदेश में सचालित विद्यालयों का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र.स.	**संस्था का नाम**	**छात्र क्षमता**	**भवन की स्थिति**
1	राजकीय आश्रम पद्वति (बालक) विद्यालय जोशीमठ ोली कक्षा 6 से 10 तक	175	विभागीय भवन
2	राजकीय आश्रम पद्वति (बालिका) विद्यालय लागापोखरी ादून कक्षा 1 से 10 तक	300	विभागीय भवन
3	राजकीय आश्रम पद्वति (बालक) विद्यालय हरिपुर कालसी ादून कक्षा 6 से 10 तक	175	विभागीय भवन
4	राजकीय आश्रम पद्वति (बालक) विद्यालय त्यूणी देहरादून ा 6 से 10 तक	175	विभागीय भवन
5	राजकीय आश्रम पद्वति (बालिका) विद्यालय लाखामण्डल ादून कक्षा 6 से 10 तक	185	विभागीय भवन
6	राजकीय आश्रम पद्वति (बालक) विद्यालय विन्सौण राता देहरादून कक्षा 1से 5 तक	175	निर्माणधीन/किराए के भवन में संचालित
7	राजकीय आश्रम पद्वति (बालक) विद्यालय लालढांग द्वार कक्षा 6 से 8 तक	105	विभागीय भवन
8	राजकीय आश्रम पद्वति (बालिका) विद्यालय लालढांग द्वार कक्षा 1 से 5 तक	150	विभागीय भवन
9	राजकीय आश्रम पद्वति (बालिका) विद्यालय गोठी हाल वाकोट पिथौरागढ कक्षा 1 से 10 तक	310	रा0 आ0 प0 विद्यालय (बालक) वाकोट के भवन में संचालित है
10	राजकीय आश्रम पद्वति (बालक) विद्यालय मुनस्यारी	175	विभागीय भवन

	ौरागढ कक्षा 6 से 10 तक		
11	राजकीय आश्रम पद्वति (बालक) विद्यालय बलुवाकोट ौरागढ कक्षा 1से 10 तक	245	विभागीय भवन
12	राजकीय आश्रम पद्वति (बालक) विद्यालय खटीमा मसिहनगर कक्षा 1 से 10 तक	245	विभागीय भवन
13	राजकीय आश्रम पद्वति (बालिका) विद्यालय खटीमा मसिहनगर कक्षा 6 से 8 तक	105	विभागीय भवन
14	राजकीय आश्रम पद्वति (बालक) विद्यालय गदरपुर मसिहनगर कक्षा 6 से 10 तक	175	विभागीय भवन
15	राजकीय आश्रम पद्वति (बालिका) विद्यालय गूलरभोज मसिहनगर कक्षा 6 से 10 तक	185	विभागीय भवन
16	राजकीय आश्रम पद्वति (बालक) विद्यालय विडौरा मसिहनगर कक्षा 6 से 10 तक	175	विभागीय भवन
	कुल	**3055**	

3 राजकीय जनजाति छात्रावास :

अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास हेतु वर्तमान में चार छात्रावास क्रमशः धारचूला (पिथौरागढ) गोपेश्वर (चमोली) काशीपुर एवं खटीमा (उधमसिहनगर) में संचालित है। अनुसूचित जनजाति के दुरस्थ स्थानों से ब्लाक/जनपद मुख्यालयों पर अध्ययन करने वाले छात्रों को प्रवेश दिए जाता है एवं छात्रावास में छात्रों को निःशुल्क आवासीय सुविधा के साथ-साथ भोजन सुविधा भी प्रदान की जाती है। प्रति छात्रावास छात्र क्षमता 50 स्वीकृत है।

क्र.स.	**संस्था का नाम**	**छात्र क्षमता**	**भवन की स्थिति**
1	राजकीय जनजाति छात्रावास गोपेश्वर चमोली	50	विभागीय भवन
2	राजकीय जनजाति छात्रावास धारचूला पिथौरागढ	50	विभागीय भवन
3	राजकीय जनजाति छात्रावास काशीपुर उधमसिहनगर	50	विभागीय भवन
4	राजकीय जनजाति छात्रावास खटीमा उधमसिहनगर	50	विभागीय भवन

4. आई.टी.आई. का संचालन:

अनुसूचित जनजाति के शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों को तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा जनपद ऊधमसिहनगर के खटीमा एवं गूलरभोज में 2 तथा जनपद देहरादून के चकराता में 01 कुल 03 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन किया जा रहा है, इन संस्थानों में हिन्दी आशुलिपि, कम्प्यूटर व्यवसाय (कोपा), वैल्डर, इलैक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, सुईग तथा कंटिग तथा फिटर व्यवसाय में प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है तथा इन संस्थानों में प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण के साथ साथ भोजन, आवासीय सुविधा, वस्त्र एवं स्टेशनरी प्रदान की जाती है, तीनों संस्थान शासकीय भवनों में सचालित है। संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विवरण निम्नवत् है।

क्र.स.	संस्था का नाम	छात्र क्षमता
1	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चकराता जनपद देहरादून	60
2	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गूलरभोज जनपद ऊधमसिहनगर	126
3	राजकीय प्रशिक्षण संस्थान खटीमा जनपद ऊधमसिहनगर	194

5 संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत आर्थिक सहायता :

अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता योजना संचालित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास के अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

6. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का संचालन :

प्रदेश में कालसी-देहरादून में एकलव्य आवासीय विद्यालय के भवन के निर्माण की कार्यवाही कार्यदायी संस्था उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 देहरादून द्वारा की जा रही है। उक्त विद्यालय कक्षा 06 से 12 तक संचालित होगा जिसमें अनुसूचित जनजाति के प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। इस योजना में भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 तक रू0 250.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। वित्तीय वर्ष 2007-08 में रू0 220.00 लाख की धनराशि राज्य सैक्टर के कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराई गयी है तथा वर्ष 2010-11 से विद्यालय में कक्षा 06 प्रारम्भ की गयी थी। वर्तमान में विद्यालय में कक्षा 6 से 10 तक संचालित है। जिसमें कुल 300 विद्यार्थी निवासरत्/शिक्षारत है।

7. आदिम जनजाति (बुक्शा एवं राजी) के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम:

वर्ष 1967 में भारत सरकार द्वारा 5 जनजातियां क्रमशः थारू, बुक्शा, भोटिया, राजी एवं जौनसारी को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है, उक्त पांचों जनजातियों में बुक्शा एवं राजी जनजाति अन्य जनजातियों से काफी पिछड़ी एवं निर्धन होने के कारण उन्हें आदिम समूह की में रखा गया है, बुक्शा जनजाति जो जनपद देहरादून के विकासनगर सहसपुर, विकासनगर, डोईवाला, जनपद पौड़ी गढवाल के विकासखण्ड दुग्गडा, जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड बहादराबाद, (लालढांग परिक्षेत्र) जनपद उधमसिहनगर के विकासखण्ड बाजपरु, गदरपुर, काशीपुर, जनपद नैनीताल के विकासखण्ड रामनगर, राजी जनजाति जनपद पिथौरागढ के धारचूला, कनालीछीना, डीडीहाट एवं जनपद चम्पावत के विकासखण्ड चम्पावत में मुख्य रूप सें निवासरत है।

उक्त दोनों जनजातियों के विकास हेतु भारत सरकार द्वारा शत् प्रतिशत अनुदान की योजना क्रियान्वयन की गई है, जिसमें राज्य सरकार की संस्तुति के आधार पर केंन्दांश की धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जाती है।

8. जनजातियों के लिए जनजाति उपयोजना:

अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजाति उपयोजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक एंव शैक्षिक विकास हेतु प्रस्ताव तैयार कर जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को उपलब्ध कराए जाते है। जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान कर धनराशि राज्य सरकार को आवंटित की जाती है।

9. प्रतियोगी परीक्षा पूर्व कोचिंग केन्द्रों द्वारा प्रतिभागी को प्रशिक्षण:

उक्त योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के रोजगार के अवसर बढाने हेतु विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों एवं निजी संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु परीक्षा पूर्व कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था के लिए राज्य में निजी कोचिंग सेन्टरों का चयन किया जाता है। चयनित कोचिंग केन्द्रो के माध्यम से कोचिंग प्राप्त करने वाले अनुसूचित जनजाति के युवको/युवतियों को रू 750.00 प्रतिमाह (स्थानीय) तथा रू 1500.00 प्रतिमाह (बाहरी) छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।

11. अनुसूचित जनजाति की पुत्रियों की शादी एंव बीमारी हेतु अनुदान योजना :

अनुसूचित जाति की भाॅति अनुसूचित जनजाति के गरीबी की सीमा रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार, जिनकी आय सीमा रू. 15,000/- (रू. पन्द्रह हजार मात्र) वार्षिक अथवा बी.पी.एल. परिवार से सम्बन्धित हों, को अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता के रूप में एकमुश्त रू. 50,000/- (रू. पचास हजार मात्र) की धनराशि प्रदान की जाएगी। सामान्य श्रेणी के बी.पी.एल. परिवार की विधवाओं की अधिकतम दो पुत्रियों को भी उनके विवाह हेतु आर्थिक सहायता के रूप में एकमुश्त रू. 50,000/- (रू. पचास हजार रू. मात्र) की धनराशि प्रदान की जायेगी। बीमारी के ईलाज हेतु अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों, जिनकी आय सीमा रू. 15,000/- वार्षिक अथवा बी.पी.एल. परिवार से सम्बन्धित हों, को आर्थिक सहायता के रूप में रूपये 10,000/- तक (यथास्थिति बीमारी के स्वरूपानुसार) की धनराशि प्रदान की जाती है। आवेदकों को निम्न वरियतानुसार धनराशि की स्वीकृति प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया है।

1- अन्तोदय कार्ड धारक आवेदनकर्ता।

2- बी.पी.एल. विधवा आवेदनकर्ता।

3- बी.पी.एल. आवेदनकर्ता।

बी.पी.एल. आवेदनकर्ता को बी.पी.एल. के साक्ष्य के रूप में बी.पी.एल. कार्ड अथवा बी.पी.एल. क्रमांक का विवरण आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जाना होगा। इस संबंध में अन्य कोई साक्ष्य मान्य नहीं होंगे।

12. स्वैच्छिक संगठनों द्वारा शिक्षा सम्बन्धी कार्य तथा उन्हे दी जाने वाली आर्थिक सुविधायें

ऐसे स्वैच्छिक संगठन जो अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रो में जनजातियों के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास के लिए कार्यरत है उन्हे आवर्तक में अनुदान दिए जाने का प्राविधान है तथा ऐसे स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित संस्थाओं में जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या का अनुपात 50 प्रतिशत होना आवश्यक है।

क्र.स.	सस्था का नाम	संस्था द्वारा संचालित प्राईमरी पाठशालाओं की सूची
1	भोटिया जनजाति सेवा गूलरभोज मसिंहनगर	1. जनजाति प्रा.पा.जगनपुरी, ऊधमसिहनगर 2. जनजाति प्रा.पा. भजपुरी, ऊधमसिहनगर 3. जनजाति प्रा.पा.भटभोजहीरा, ऊधमसिहनगर 4. जनजाति प्रा.पा. भूडियाखानपुर, ऊधमसिहनगर
2	सर्वेन्टस ऑफ सोसाइटी बाजपुर जनपद मसिहनगर	1. प्राथमिक पाठशाला अजीमुल्ला बाजपुर, ऊधमसिहनगर। 2. प्राथमिक पाठशाला भूड़ी बन्नाखेड़ा बाजपुर, ऊधमसिहगनर। 3. प्राथमिक पाठशाला विजय रम्पुरा बाजपुर, ऊधमसिहगनर। 4. प्राथमिक पाठशाला दोपुलिया गदरपुर, ऊधमसिहनगर। 5. प्राथमिक पाठशाला मजरानसिह गदरपुर, ऊधमसिहनगर।

		6. प्राथमिक पाठशाला मजराविधि गदरपुर, ऊधमसिहगनर। 7. प्राथमिक पाठशाला धूरिया बाजपरु, ऊधमसिहनगर। 8. प्राथमिक पाठशाला विडौरा सितरागंज, ऊधमसिहनगर। 9. प्राथमिक पाठशाला कोपा बसन्ता गूलरभोज, ऊधमसिहनगर। 10. प्राथमिक पाठशाला खटोला न0 2, ऊधमसिहनगर। 11. प्राथमिक पाठशाला रम्पुरा हरसार बाजपुर, ऊधमसिहनगर। 12. प्राथमिक पाठशाला ठोठुपुरा बाजपुर, ऊधमसिहनगर। 13.प्राथमिक पाठशाला ढांकी बाजपुर, ऊधमसिहनगर। 14. प्राथमिक पाठशाला भटपुरी बाजपुर, ऊधमसिहनगर।
3	भोटिया जनजाति कल्याण शिक्षा समिति वाकोट जनपद पिथौरागढ	1. प्राथमिक पाठशाला छारछुम पिथौरागढ। 2. प्राथमिक पाठशाला घाटीबगड पिथौरागढ। 3. प्राथमिक पाठशाला धूरा पिथौरागढ।
4	इन्दिरा राष्ट्रीय चेतना एवं समाजोत्थान वाला देहरादून	1. प्राथमिक पाठशाला बोक्सा बस्ता छिदरवाला, देहरादून। 2. प्राथमिक पाठशाला बोक्सा जनजाति रायवाला, देहरादून। 3. प्राथमिक पाठशाला बोक्सा बस्ती गढ़ीश्यामपुर, देहरादून।

13. अनुसूचित बाहुल्य जनजाति क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास

अनुसूचित जनजतियों के बाहुल्य ग्रामों में पेयजल व्यवस्था, मोटर मार्ग/झूला पुल/पुल/पुलिया, सम्पर्क मार्ग, विद्युतीकरण, नाली एवं जल निकास व्यवस्था, शौचालय, सामुदायिक प्रयोग के भवनों का निर्माण, जैसे बारात घर/ सामुदायिक मिलन केन्द्र, विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं में अवशिष्ठ कार्य (Critical gap) सिचाई व्यवस्था, क्रीड़ा स्थलो का विकास, सामाजिक वनीकरण, चारा व बायोफ्यूल के लिए सामुदायिक व्यवस्था, सार्वजनिक मार्गो पर प्रकाश व्यवस्था आदि की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

14. गौरा देवी कन्याधन योजना

इस योजनान्तर्गत बी.पी.एल. परिवार के अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं को इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ''गौरा देवी कन्याधन योजना'' के रूप में रू. 50,000.00 की राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में प्रदान की जाती है।

पात्रता:-

1. योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे निवास कर रहे अनुसूचित जनजातियों एवं गरीबी रेखा से नीचे निवास कर रहे समस्त परिवारों की ऐसी बालिकाऐं पात्र होगी, जिन्होने राज्य में स्थित केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड के अधीन किसी विद्यालय से इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। योजना के अन्तर्गत संस्थागत तथा व्यक्तिगत दोनो प्रकार की छात्राएं पात्र होंगी, परन्तु व्यक्तिगत छात्राओं के मामले में छात्रा अविवाहित होना चाहिए तथा उसकी आयु अनुदान स्वीकृत होने के वर्ष की 01 जुलाई को 25 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।

2. आय का प्रमाण-पत्र ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक रजिस्टर के आधार पर बी.पी.एल. क्रमांक अंकित अथवा वार्षिक आय रू0 15976 के आय प्रमाण पत्र तथा शहरी क्षेत्र में रू0 21206 की वार्षिक आय प्रमाण पत्र जो राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी जिसका स्तर तहसीलदार से कम न हो के आधार पर मान्य होगा, संलग्न करना अनिवार्य है।

3. पूर्णकालिक/अंशकालिक रूप से सेवायोजित छात्रा इस सुविधा हेतु अर्ह नही होंगी।
4. एक दम्पति की अधिकतम दो पुत्रियो को ही योजना से लाभान्वित किया जा सकेंगा।

अनुसूचित जाति कल्याण की योजनाए

1) अनुसुचित जाति पूर्वदशम छात्रवृति

इस योजना के अन्र्तगत कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं तथा आई.टी.आई. कक्षाओं में

अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृति निम्न मानकों के अनुसार प्रदान की जाती है :

छात्रवृति के लिए पात्रता

- छात्र/छात्रा राज्य में संचालित/शासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय में संस्थागत छात्र के रुप में अध्ययनरत हो।
- छात्र /छात्रा का विगत वर्ष की कक्षा में उतीर्ण रहा/रही हो।
- छात्र/छात्रा को किसी अन्य प्रकार की छात्रवृति प्राप्त न हो रही हों।
- कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत सभी छात्र/छात्राओं को छात्रवृति प्रदान किये जाने का प्राविधान है।
- कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं में अभिभावक कें आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं हैा

- छात्रवृति हेतु विद्यार्थियों को अपने विद्यालय में ही आवेदन करना है ।
- छात्रवृति हेतु आवेदन करने की अन्तिम तिथि 31.मई(प्रत्येक वर्ष) तथा नये प्रवेश की स्थिति में 31 जुलाई निर्धारित की गयी है।
- प्रत्येक विद्यालय स्तर पर छात्रवृति की स्वीकृति हेतु समिति गठित है। छात्रवृति स्वीकृति समिति समस्त पात्र छात्र/छात्रा को छात्रवृति स्वीकृति प्रदान कर छात्रवृति स्वीकृति सूची खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करवाये जाने की व्यवस्था है।जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा संबंधित विद्यालय के विद्यार्थियों हेतु छात्रवृति की धनराशि विद्यालय के छात्रवृति संयुक्त खाते जिसका संचालन प्रधानाध्यापक तथा संस्था एक अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक एंव ग्राम प्रधान द्वारा किया जाता है, में स्थानान्तरित की जाती है।
- **अनुसूचित जाति कक्षा 1 से 8 एवं आई.टी.आई छात्रवृति की दरें निम्न हैं :-**

(वर्ष 2005-06 से प्रभावी दरें)

कक्षा 1 से 5 रु.50/- प्रतिमाह

कक्षा 6 से 8 रु. 80/- प्रतिमाह

छात्रवृति संबंधित संस्था द्वारा छात्रवृति का भुगतान विद्यार्थियों को उनके नाम से खोले गये डाकघर अथवा बैंक खातों के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था है।

2) अनुसूचित जाति कक्षा 9 से 10 के छात्रों को छात्रवृति

(वर्ष 2011-12 से कक्षा 9-10 की छात्रवृति केन्द्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही है)

छात्रवृति के लिए पात्रता

- माता - पिता / अभिभावक की आय की अधिकतम आय सीमा अधिकतम रू 200000 वार्षिक।
- **धनराशि -** छात्रवृत्ति डेस्कालर को रू. 150 एवं हास्टलर रू. 350 मासिक अधिकतम 10 माह के लिये अनुमन्य इसके अतिरिक्त तदर्थ अनुदान डेस्कालर को रू. 750 एवं हास्टलर को रू. 1000 वार्षिक दिये जाने को प्राविधान है।

- **वितरण की प्रक्रिया -** सभी पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान उनके नाम से बैंक/पोस्ट आफिस में खुले खातों के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था है।

3) अनुसुचित जाति दशमोत्तर छात्रवृति

इस योजना के अर्न्तगत दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृति निम्न मानकों के अनुसार प्रदान की जाती है :

छात्रवृति के लिए पात्रता

• उत्तराखण्ड राज्य का निवासी छात्र/छात्रा राज्य अथवा राज्य से बाहर में संचालित शासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय/तकनीकी/चिकित्सकीय /प्रबन्धन संस्थानों में संस्थागत छात्र के रुप में अध्ययनरत हो।

• छात्र /छात्रा का विगत वर्ष की कक्षा में उतीर्ण रहा/रही हो, अनुतीर्ण छात्र /छात्राओं कों छात्रवृति देय नही है।

• छात्र /छात्रा द्वारा वर्तमान कोर्स से पूर्व कोई व्यवसायिक कोर्स न किया हो।

• छात्र/छात्रा को किसी अन्य प्रकार की छात्रवृति प्राप्त न हो रही हों।

• छात्रवृति उन छात्र/छात्राओं को अनुमन्य होगी जिनके माता-पिता /अभिभावकों की वार्षिक आय रु. 250000/- (रु. दो लाख पचास हजार) तक हो ।

• वर्ष 2015-2016 सें कक्षा 09 सें उपर की कक्षाओं हेतु ऑन लाईन छात्रवृति वितरण की व्यवस्था की जा रही है।

• ऑन् लाईन छात्रवृति वितरण कें अन्तर्गत निम्न प्राविधान किये गये है।

• कक्षा 9 से 12 की कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों की छात्रवृत्ति की इजिटाईस्ड सूची सम्बन्धित प्रधानाचार्य दवारा तैयार की जायेगी, इस डजिटाईस्ड कों सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी कें स्तर से समाज कल्याण की वेबसाईट पर अपलोड कर सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी कों प्रेषित की जायेगीा प्रधानाचार्य द्वारा छात्रवृत्ति सूची की हार्ड कॉपी अपने हस्ताक्षर एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर के साथ सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में प्रेषित की जायेगीा सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी कें जाचोपरान्त छात्रवृत्ति की धनराशि सम्बन्धित छात्रों कें सी0बी0एस0 बैकों में खुले व्यक्तिगत खातों मे प्रेषित की जायेगीा

• अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति के वितरण हेतु शासन द्वारा निम्न व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

1- सर्वप्रथम शासकीय ा

2- मान्यता प्राप्त ा

• कक्षा 12 से उपर की कक्षाओं में प्रदेश के अन्दर एवं बाहर कें विश्वविदालयों/मेडिकल संस्थान/ इंजीनियरिगं संस्थान एवं अन्य व्यवसायिक कालेजों आदि में अध्ययनरत ऐसे छात्र स्वंय ऑन लाईन ई- स्कालरशिप पोर्टल पर ऑन लाईन आवेदन करेंगेा इसी प्रकार सें अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडी जाति के छात्र/छात्राओं द्वारा भी दश्मोत्तर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया जायेगाा

• छात्रवृत्ति हेतु पात्र होने के लिए पात्र होने की स्थिति में संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जाचोपरान्त छात्रवृति तथा शुल्क की धनराशि संबंधित छात्र/छात्रा के नाम से संचालित राष्ट्रीयकृत बैंक के सी०बी०एस० एकाउन्ट में स्थानान्तरित करने की व्यवस्था है।

• यह छात्रवृति भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमावली के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

• छात्रवृति केवल प्रवेश की तिथि से पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा के माह तक (पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश माह की 20 तारीख के बाद हुआ है तो छात्रवृति अगले माह से अनुमन्य होगी)

अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं में छात्रवृति निम्न दरों एंव मानकों के आधार पर दी जाती हैः-

(दिनांक 01.07.2010 से प्रभावी)

छात्रवृति के मानक				अवधि (अधिकतम)
पाठ्यक्रम	दर प्रतिमाह		माता- पिता की वार्षिक आय सीमा	
	हास्टलर	डेस्कालर		
समूह &1 औषधि (एलोपैथिक भारतीय तथा अन्य मान्यता त औषधि पद्धतियों)इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, कृषि, - चिकित्सा एवं सम्बद्व विज्ञान, प्रबन्धन, बिजनेस, ा, बिजनेस प्रशासन तथा कम्पयूटर अनुप्रयोग/विज्ञान गेज्यिक पायलट लाईसेन्स (हैलीकाप्टर पायलट तथा टी इंजन रेटिग पाठ्यक्रम में डिग्री तथा स्नात्कोत्तर रीय पाठ्यक्रम) (एम.फिल, पी.एच.डी. तथा पोस्ट क्टोरल अनुसंधान)।	रू. 1200	रु.530	रु.2.50 लाख तक	प्रवेश की तिथि से ाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की रीक्षा के माह तक (पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष में प्रवेश माह की 20 तारीख के बाद हुआ है तो गले माह से छात्रवृति अनुमन्य होगी)
समूह -2 समूह 1 में शामिल न किये गये अन्य व्यावसायिक ा तकनीकी स्नातक तथा स्नात्कोत्तर (एम.फिल, एच.डी.तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान) स्तरीय ाठ्यक्रम। सी.ए./आई.सी.डब्लू ए/सी एस आदि पाठ्क्रम। ो स्नात्कोत्तर, स्नातक स्तरीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, ो प्रमाण पत्र स्तरीय पाठ्यक्रम	रू.820	रु.530		
समूह - 3 स्नातक या इससे अधिक के डिग्री के सभी अन्य ाठ्यक्रम (जो समूह एक तथा 2 में शामिल नहीं किये ये है)	रू.570	रु.300		
समूह - 4 समूह 2 या 3 में शामिल न किये गये 10+2 पद्धति कक्षा 11 तथा 12 और इन्टरमीडिएट परीक्षा जैसे क्वुएशन करने से पूर्व के सभी दशमोत्तर स्तरीय ाठ्यक्रम। आई.टी.आई पाठ्यक्रम अन्य व्यवसायिक	रू.380	रु.230		

क्रम (यदि पाठ्क्रम में पढने के लिए न्यून्तम अपेक्षित ता कम से कम मेट्रिकुलेशंन हो)				

3) अस्वच्छ पेशा (चमडा उतारने, चमड़ा कमाने, मैला उठाने) में लगे व्यक्तियों के बच्चों को विशेष छात्रवृति :

100 प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित यह विशेष योजना वर्ष 1977-78 से संचालित है। वर्ष 1991-92 से पूर्व इसमें केवल 6 से 10 तक पढ़ने वाले छात्रों के छात्रावास में रहने पर लाभान्वित किया जाता था.

• इस योजना में अभिभावकों/माता पिता की आय सीमा को समाप्त कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा अब इस योजना की प्रक्रिया दरों में निम्नवत् संशोधन कर दिया गया है, जो 01 अप्रैल, 2008 से प्रभावी है।

• छात्रवृति की स्वीकृति /भुगतान की प्रक्रिया पूर्वदशम छात्रवृति के अनुसार ही विद्यालय द्वारा अपनायी जाती है।

• **छात्रवृति की दरें निम्नवत है।**

अ) आवासीय छात्रों के लिए :

कक्षा 3 से 10 तक 700 रू० प्रतिमाह 10 माह हेतु

ब) अनावासीय छात्रों के लिए :

कक्षा 1 से 2 तक 110 रू० प्रतिमाह 10 माह हेतु

कक्षा 3 से 10 तक 110 रू० प्रतिमाह 10 माह हेतु

उपरोक्त के अतिरिक्त आवासीय छात्रों को रू० 1000 तथा अनावासीय छात्रों को रू० 750 प्रतिवर्ष तदर्थ अनुदान दिये जाने की व्यवस्था नवीन प्रस्तावित योजना में भारत सरकार द्वारा कर दी गई है.

4) अनुसूचित जाति के छात्रों को मेरिट उच्चीकृत छात्रवृति दिये जाने की योजना :

• अनुसूचित जाति के मेधावी किन्तु सुविधा विहीन छात्र/छात्राओं को मेडिकल और इन्जीनियरिंग में प्रवेश हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होकर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की पूर्ति हेतु कक्षा 9 से 12 तक चार वर्ष की रेमिडियल कोचिंग प्रदान कर उनके शैक्षिक अवरोधों को दूर करने के उद्देश्य से भारत सरकार से शत-प्रतिशत सहायतित यह योजना उत्तराखण्ड के पौड़ी एवं नैनीताल के राजकीय इण्टर कॉलेजों मे वर्ष 1988-89 में शिक्षा विभाग द्वारा संचालित थी, जो वर्ष 1994-95 मे समाज कल्याण विभाग को स्थानान्तरित की गई,। इस योजना का संचालन वर्तमान में जनपद पौडी में हो रहा है तथा योजना को उत्तराखण्ड के सभी जनपदों मे संचालित किये जाने का प्रस्ताव है। इसके अन्तर्गत प्रति छात्र रूपये 8000/-वार्षिक तथा प्रत्येक विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं विषय विशेषज्ञों को शिक्षण हेतु रूपये 7000/- वार्षिक दिये जाने का प्राविधान है।

5) पूर्वदशम कक्षाओं में अनुसूचित जाति के छात्रों को शुल्क क्षतिपूर्ति :• मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा 7 से 8 तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा हेतु विद्यालयों को जो आर्थिक क्षति होती है,उस कमी को विभाग द्वारा शुल्क क्षतिपूर्ति प्रदान करके पूरा किया जा रहा है। इस योजना में निम्न शुल्को की प्रतिपूर्ति किये जाने का प्रविधान है :

1. ट्यूशन **2.** खेल **3.**चिकित्सा

4. पुस्तकालय **5.** इन्स्ट्रूमेन्ट एजुकेशन **6.**स्याही

7. ऑड़ियो विजुअल **8.** मैगजीन **9.** विज्ञान

10. मंहगाई **11.** विकास शुल्क **12.**पंखा

अनुतीर्ण अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को कुछ शर्तो के अन्तर्गत निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है।

6) हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की अन्तिम परीक्षा पूर्व अनुसूचित जाति के छात्रों को विशेष कोचिंग व्यवस्था

अनुसूचित जाति के छात्रों को अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान विषयों मे माह सितम्बर से फरवरी माह तक विशेष कोचिंग देने की योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित की जा रही है। इसके अन्तर्गत 10 वीं कक्षा के अध्यापको को रूपये 200/-तथा 12 वीं कक्षा के अध्यापकों को रूपये 300/-की दर से मानदेय के रूप में दिया जाता है। उक्त केन्द्र अधिकतर राजकीय इण्टर कालेजों तथा प्रतिष्ठित कालेजों में प्रायः जनपद मुख्यालय तथा तहसील स्तर पर संचालित किये जा रहे हैं।

7) स्वैच्छिक संगठनों द्वारा शिक्षा सम्बन्धी कार्य तथा उन्हें दी जाने वाली आर्थिक सुविधायें :

• ऐसे स्वैच्छिक संगठन जो अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा में गहरी रूचि लेते है और विद्यालयों को संचालित कर शिक्षा देते है, उन्हें शासन की वित्तीय स्थिति तथा नीतियों के अनुसार अनावर्तक अथवा आवर्तक अनुदान दिया जाता है.ऐसी संस्थाये जो अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रसार हेतु वाचनालयों/पुस्तकालयों एवं छात्रावासों की भी सुविधाये देते है,उन्हें भी अनुदान दिया जाता है. अनुदान के लिए स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित विद्यालयों में इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि इसमें अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या अनुपात में 50 प्रतिशत से कम न हो. आवर्तक अनुदान प्राप्त प्राइमरी पाठशालाओं में अनुमन्य अध्यापकों के लिए विभाग द्वारा निर्धारित वेतनमान के अनुसार समतुल्य वेतन की धनराशि प्रत्येक वर्ष आवर्तक अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है. आवर्तक अनुदान पर अनुदानित छात्रावासों/पुस्तकालयों को आवर्तक व्यय की मदों पर नियमानुसार देय धनराशि आवर्तक अनुदान के रूप में दी जाती है.

8) अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को सिविल/राज्य सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजना :

उत्तराखण्ड में संचालित परीक्षापूर्व प्रशिक्षण(आई.ए.एस./पी.सी.एस.) केन्द्रों में देय छात्रवृति की दरें-

क्र.सं.	**अध्ययन पाठ्यक्रम**	**देय छात्रवृति**
1	कोचिंग प्राप्त करने वाले स्थानीय छात्रों के लिए	रू 750/- प्रति माह
2	कोचिंग प्राप्त करने वाले बाहरी छात्रों के लिए	रू 1500/- प्रति माह

उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना के बाद यहां के अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लिए इस राज्य में भी एक ऐसे ही परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र की आवश्यकता अनुभव की गयी है जिसमें निर्धन अनुसूचित जाति के मेधावी नवयुवकों को प्रशासनिक सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के उददेश्य से चरणबद्ध कोचिंग की व्यवस्था हो।

9) प्रदेश के अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु राजकीय औद्योगिक आस्थान का संचालन :

• प्रदेश मे अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का शहरी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु विभाग द्वारा हल्द्वानी (नैनीताल) में औद्योगिक आस्थान संचालित है, जिसमें 15 शेड तथा 19 प्लाट हैं,जो अनुसूचित जाति के उद्यमियो को अपने उद्योग संचालित करने के लिए कम किराये पर उपलब्ध कराये जाते है.प्रति शेड रूपया 25 प्रति माह भूखण्ड लीज डीड एवं शर्तो के अधीन दिये जाने का प्राविधान है.तथा शिल्पी हाट योजना के अर्न्तगत 25 दुकाने अनुसूचित जाति के शिल्पियों को अपने उत्पादों के विपणन हेतु आबंटित किया जाता है।

10) अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 का क्रियान्वयन :

• अनुसूचित जातियों के प्रति अस्पृश्यता/छुआछूत की भावना को समाप्त करने के उद्देश्य से नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का क्रियान्वयन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है।अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन भारत सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक 31 मार्च,1995 के भाग-2 खण्ड-3 में प्रख्यापित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)नियमावली 1995 के आधार पर उत्पीड़ित अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न की घटनाओं में न्यूनतम रूपये 60,000/- तथा अधिकतम रूपये 5,00,000/- की आर्थिक सहायता विभिन्न चरणों में दिये जाने का प्रविधान किया गया है।

11) अनुसूचित जातियों हेतु आई. टी. आई. की स्थापना :

• वर्तमान में उत्तराखण्ड में अनुसूचित जाति के छात्रों को निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा प्रदान करने हेतु 03 विभागीय आई. टी. आई. क्रमशः पाइंस (नैनीताल), मालधनचौड़ एवं जनपद बागेश्वर में स्थापित है, जिसमें 333 छात्रों की प्रशिक्षण की क्षमता है,

12) आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन :

• प्रदेश में अनुसूचित जाति के बालक/बालिकाओं के शैक्षिक उत्थान के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा आश्रम पद्वति विद्यालयों की स्थापना की गई है। इन विद्यालयों में अनुसूचित जाति के ऐसे परिवार,जो अपने बच्चों की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति नही कर पाते हैं तथा अत्यन्त निर्धन हैं, के बच्चो को प्रवेश मिलता है। इन विद्यालयों में प्रवेशित बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, आवास, वस्त्र आदि सुविधाएं प्रदान की जाती है। उत्तराखण्ड मे अनुसूचित जाति के बालकों हेतु निम्न 6 राजकीय आश्रम पद्वति विद्यालय संचालित हैः-

1. राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय,बेतालघाट जनपद नैनीताल में कक्षा 6 से 10 तक
2. राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय,सैकोट जनपद चमोली में कक्षा 6 से 8 तक
3. राजकीय आश्रम पद्वति विद्यालय,देहरादून कक्षा 1 से 5 तक
4. राजकीय आश्रम पद्वति विद्यालय,रुद्रपुर कक्षा 1 से 5 तक
5. राजकीय आश्रम पद्वति विद्यालय,श्रीनगर जनपद÷-पौड़ी. कक्षा 1 से 5 तक
6. राजकीय आश्रम पद्वति विद्यालय,जैंती जनपद-अल्मोड़ा कक्षा 1 से 5 तक
निराश्रित बालिकाओं हेतु भी एक राजकीय बालिका आश्रम पद्धति विद्यालय, बागेश्वर कक्षा 1 से 5 तक षिक्षा हेतु संचालित है।

13)अनुसूचित जाति छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावास :

• अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को अपने घरों से दूर शिक्षा ग्रहण करने हेतु आवासीय सुविधा एवं भोजन व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्तमान में 15 छात्रावास संचालित हैं।

14) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी एवं उनके परिजनों की बीमारी के इलाज हेतु अनुदान की व्यवस्था :

• अनुसूचित जाति के पुत्रियों की शादी एवं उनके परिजनो की बीमारी के इलाज हेतु विभाग द्वारा उक्त योजना संचालित है। यह योजना वर्ष 1982 से संचालित है. इस योजना के अन्तर्गत रूपये 15,000/- तक वार्षिक आय वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों

को वर्ष 2013-14 से पुत्रियों की शादी हेतु रूपये 50,000/- तथा उनके परिजनों के इलाज हेतु अधिकतम रूपये 10,000/- की आर्थिक सहायता दी जाती है।

15) अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकासः

• अनुसूचित जाति के बाहुल्य ग्रामों में सड़क निर्माण, विद्वुतीकरण, पेयजल, बारातघर, खण्ड़जा गली निर्माण आदि मूल भूत सुविधाऐं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना का संचालन किया जा रहा है।

16) अटल आवास योजनाः

ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत अनुसूचित जाति के निर्धन एंव बी०पी०एल० चयनित परिवारों जिन्हें सरकार द्वारा संचालित किसी भी आवास योजना में आवास निर्माण हेतु धनराशि प्राप्त नही हुई है तथा परिवार आवास विहीन है ,ऐसे परिवारों को आवास उपलब्ध कराये जाने हेतु अटल आवास योजना प्रारम्भ की गयी जिसका क्रियान्वयन निम्नानुसार किया जाता हैः-

• अनुसूचित जाति के आवासहीन परिवार के नाम पर ग्रामीण क्षेत्र में आवास निर्माण हेतु निजी भूमि उपलब्ध हो।

• संबंधित परिवार बी०पी०एल० चयनित हो अथवा परिवार की वार्षिक आय रु.32,000/- तक हो।

• आवास कम से कम 20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में जिसके साथ शौचालय का निर्माण अनिवार्य है ।

• मकान बनाये जाने हेतु पर्वतीय क्षेत्र में रु.38,500/- तथा मैदानी क्षेत्रों में रु.35,000/- की धनराशि अनुदान स्वरुप प्रदान की जाती है।

17) गौरादेवी कन्याधन योजनाः

अनुसचित जाति की तथा बी०पी०एल० परिवारों की बालिकाओं के शैक्षिक स्तर के उन्नयन के दृष्टिगत वर्ष 2006-07 से गौरा देवी कन्याधन योजना प्रारम्भ की गयी। इस योजना के अर्न्तगत लाभान्वित होने के लिए निम्न मानक निर्धारित हैः-

• बालिका बी०पी०एल०चयनित परिवार की हो अथवा ग्रामीण क्षेत्र में रु. 15976/- तथा शहरी क्षेत्र में रु.21206/-तक वार्षिक आय वाले परिवार की हो।

• बालिका ने गत शिक्षा सत्र में राज्य में संचालित किसी भी बोर्ड की इन्टरमीडिएट परीक्षा संस्थागत/व्यक्तिगत उतीर्ण की हो।

• विवाहित होने की स्थिति में बालिका की आयु 25 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।

• गौरादेवी कन्याधन हेतु आवेदन-पत्र जिला समाज कल्याण कार्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर निर्धारित है। इसके पश्चात प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार नही किया जाता है।

• गौरादेवी कन्याधन योजना की स्वीकृति जिले में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रदान की जाती है।

• गौरादेवी कन्याधन के रुप में बालिका को रु.25,000/- का राष्ट्रीय बचत पत्र अथवा भारतीय स्टेट बैंक का एफ.डी.आर. प्रदान किया जाता है।